

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 128] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 1972/फाल्गुन 12, 1893
 No. 128] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 1972/PHALGUNA 12, 1893

यस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March 1972

S.O. 172(E).—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the people Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published for general information—

DEATH-TAX

Bye-election to the House of the People from the 16-Darbhanga Parliamentary Constituency in Bihar.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Sri Lalit Narain Mishra, Village Balua, P.O. Balua Bazar, District Saharsa, has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Binodanand Jha.
 Place: Laheriasarai.

Date: 2nd February 1972.

(Sd.)

Returning Officer."

[No. F.13(2)/72-Leg.II.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD Jt. Secy.

विधि और व्यवस्था मंत्रालय

(विधायी विभाग)

प्रसिद्धि

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1972

क्र० आ० 172 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें उसमें निर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है—

घोषणा

बिहार में 16—दरभंगा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन ।

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्लिखित उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि श्री विनोदानन्द झा की मृत्यु से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए—

श्री ललित नारायण मिश्र,

गाँव—बलुआ, डाकघर—बलुआ बाजार,

जिला—सहरसा

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान । जहेरिया सराय

तारीख । 2-2-1972

(इ०)

रिटर्निंग आफिसर।”

[सं० फा० 13(2)/72—विधायी II]

एन० डी० पी० नाम्बूद्रीपाद, संयुक्त सचिव ।